प्रस्तावना

इस प्रतिवेदन में झारखण्ड रेशम, वस्त्र एवं हस्तशिल्प विकास निगम लिमिटेड (झारक्राफ्ट) द्वारा 8.89 लाख ऊनी कंबल के उत्पादन और परिवहन से संबंधित ₹ 18.41 करोड़ के कपटपूर्ण भुगतान पर लेखापरीक्षा के परिणाम, झारखण्ड पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लेखापरीक्षा और एक सा.क्षे.उ. की अनुपालन लेखापरीक्षा पर आधारित एक लेखापरीक्षा कंडिका सम्मिलित है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 और 143 के तहत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा सरकारी कंपनियों के लेखों का लेखापरीक्षा किया जाता है। सीएजी वैधानिक लेखापरीक्षकों (चार्टर्ड एकाउंटेंट्स) द्वारा प्रमाणित लेखों की पूरक लेखापरीक्षा करता है, जिसकी नियुक्ति सीएजी द्वारा कंपनी अधिनियम के तहत होती है, और वह वैधानिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदनों पर अपनी टिप्पणियां या पूरक देता है।

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्यों, शक्तियों और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19-ए के प्रावधानों के तहत सीएजी उनके द्वारा लेखापरीक्षित सरकारी कंपनियों और निगमों के लेखों पर अपनी रिपोर्ट झारखण्ड के राज्य विधानमंडल के समक्ष पेश करने के लिए सरकार को प्रस्तुत करता है।

इस रिपोर्ट में निम्नलिखित पर प्रकाश डाला गया है:

1. झारखण्ड में 24 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सा.क्षे.उ.) में से 22 सा.क्षे.उ. के लेखें 2009-10 की अवधि तक से बकाया है। लेखों के बनाने में देरी/नहीं बनाने, कंपनी अधिनियम का उल्लंघन के अलावा, तथ्यों की गलत प्रस्तुतीकरण, धोखाधड़ी और दुरूपयोग के जोखिम से भरा हुआ है।

2. पिछले तीन वर्षों में अपने लेखों को अंतिम रूप देने वाले 10 सा.क्षे.उ. ने औसत 6.87 प्रतिशत की उधार लागत के मुकाबले 18.34 प्रतिशत की औसत नकारात्मक निवेश पर प्रतिफल (आरओआई) के परिणामस्वरूप राजकीय कोष को पिछले तीन साल में ₹ 2,092.21 करोड़ का नुकसान पहुँचाया। 14 सा.क्षे.उ. जिनके लेखों को अंतिम रूप नहीं दिया गया है, उनका नुकसान का आकलन नहीं किया जा सकता है।

3. राज्य सरकार ने राज्य सा.क्षे.उ. के लिए कोई लाभांश नीति नहीं बनाई है। फलस्वरूप, हालांकि, पाँच सा.क्षे.उ. ने, अपने अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के अनुसार, ₹ 128.11 करोड़ की सरकारी अंशपुंजी के साथ ₹ 22.98 करोड़

के कुल लाभ अर्जित किए, इनमें से किसी भी सा.क्षे.उ. ने लाभांश घोषित नहीं किया।

4. वर्ष के दौरान, वैधानिक लेखापरीक्षकों ने 12 कंपनियों द्वारा अंतिमीकृत 21 लेखाओं पर दोषयुक्त प्रमाण पत्र दिए। कंपनियों द्वारा लेखांकन मानकों का अनुपालन असंतोषजनक रहा क्योंकि सात कंपनियों के 11 लेखाओं पर 36 मामलों में लेखांकन मानको का अनुपालन नहीं किया गया था।

5. यह स्पष्ट नहीं है कि किस आधार पर राज्य सरकार ने छः कार्यरत सा.क्षे.उ. को ₹ 208.22 करोड़ का और एक अकार्यशील सा.क्षे.उ. को ₹ 15.52 करोड़ का बजटीय सहायता दिया था, जबकि उन्होंने 2014-15 से 2016-17 के अवधि के लिए अपने लेखों का अंतिमीकरण नहीं किया है।

6. पूर्ववर्ती बिहार राज्य के बिहार और झारखण्ड में पुनर्गठन के 17 वर्षों के बाद भी सात सा.क्षे.उ. की परिसंपत्तियों और देनदारियों का विभाजन पूरा नहीं हुआ है।

7. झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (जेबीवीएनएल) उज्जल डिस्कॉम आश्वासन योजना (उदय) के तहत वित्तीय लक्ष्यों और परिचालन प्रदर्शन लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सका।

8. 8.89 लाख कंबल के उत्पादन और परिवहन से संबंधित झारक्राफ्ट के दस्तावेजों के मिलान करने पर ₹ 18.41 करोड़ के कपटपूर्ण भुगतान का पता चला।

9. झारखण्ड पुलिस हाउसिंग निगम लिमिटेड के लेखापरीक्षा में अयोग्य निविदादाताओं को कार्य आवंटन और सरकार के योजना मद से अर्जित आय को गलत ढ़ंग से खुद का आय मान लेने से ₹ 5.03 करोड़ आयकर का परिहार्य भुगतान परिलक्षित हुआ।

10. लेखापरीक्षा ने झारखण्ड ऊर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड के द्वारा बुशिंग की सावधिक जाँच में विफलता एवं उसके क्रय तथा प्रतिस्थापना में अनावश्यक विलंब के कारण ₹ 22.79 करोड़ मूल्य के बराबर ऊर्जा उत्पादन का परिहार्य हानि पाया।

लेखापरीक्षा का संचालन भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा और लेखा विनियम, 2007 एवं लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की गई है।